

फारम- VIII -क
कार्यालय नगर परिषद्, हाजीपुर
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या -8(4)

आपके आवेदन संख्या - 28 तिथि- 29.03.2021 के संदर्भ में
 लेमन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, कॉरपोरेशन लिमिटेड, देवेन्द्र प्लाजा, महेश नगर, पटना, 800023
 निदेशक-श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के लेमन्स पायस सीटी,
 पता:-रामभद्र पो0-हाजीपुर थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली।

(क) आवासीय सह व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनः निर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ.) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु हाजीपुर नगर परिषद्/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम 28 प्लॉट नं0- 590,592,592/2399,591,588/2361, 588/2362. खाता नं0-573,548,327,287 तौजी नं0- बिहार सरकार, थाना नं0- 181, मौजा-
 .., पता-रामभद्र , थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0 40/22 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 15656.91 वर्ग मीटर एवं Block No- A and B, B+G+6 , Block No-C,G+3 की स्वीकृति दी जाती है :-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठानकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 2898.44 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.5 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ.) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में आवश्यक हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी

योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयेजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद् हाजीपुर आयोजना क्षेत्र में वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की जगह हो, के अधिकारी, हक हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किए जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाए, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ़) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए भवन निर्माण किया जाएगा।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद् हाजीपुर

पत्रांक : 27/10

दिनांक : 17/6/22

प्रतिलिपि : लेमबत इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड डेवेल्पमेंट

महेंद्र नगर पटनार (निर्देशक श्री कामरेड प्रेम) 21/4/22 हाजीपुर

21/4/22 हाजीपुर

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद् हाजीपुर

कार्यालय नगर परिषद, हाजीपुर

(Email- hajipurnagarparishad@gmail.com)

पत्रांक : 733

दिनांक : 25/2/22

प्रेषक :

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हाजीपुर।

प्रेषित,

नाम- श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह

पिता/पति का नाम- श्री अरुण कुमार सिंह

पता- लेमन इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन L.T.D, 301 देवेन्द्र प्लाजा, महेसा
नगर रोड नं-03, पटना, बिहार

विषय : वर्ष 2022 भवन निर्माता/निर्माणकर्ता के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है वर्ष 2022 के लिए भवन निर्माता/निर्माणकर्ता के लिए आपको नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा चयनित किया गया है आपको वर्ष 2022 के लिए भवन निर्माता/निर्माणकर्ता के रूप में लाईसेन्स सं० 01/2022 आवंटित किया जाता है। आप बिहार बिल्डिंग बाँयलाज 2014 के अनुरूप अपने दायित्वों का सही तरह से निर्वाह करेंगे तथा गलत पाये जाने पर आपका लाईसेन्स रद्द किया जाएगा एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हाजीपुर।